

सराहनीय कार्य जनपद सम्भल दिनांक 15.10.2020

अन्तर्राज्यीय मानव तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश तीन अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार थाना बहजोई

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल महोदय श्री यमुना प्रसाद व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सम्भल श्री आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय चन्दौसी श्री अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दि० 15.10.2020 को थाना प्रभारी बहजोई श्री रविन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर **नया रोडवेज बस अड्डा, कस्बा बहजोई** से महिला/बालिकाओं को बहला फुसलाकर बेचने वाले गैंग के अभियुक्तगण **1. मौ० शानू उर्फ सोनू 2. विकास शर्मा व अभियुक्ता 3. श्रीमती नाजमा उर्फ पूनम** को मय बिक्री के 40 हजार रु० व 02 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बेचने को ले जा रही महिला को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बहजोई पर निम्न अभियोग पंजीकृत किये गये।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम लोग विभिन्न स्थानों व राज्यों से ऐसी महिला/बालिका को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता तथा बेसहारा होते हैं ऐसी महिला/बालिका हमारे चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। फिर हम लोग ऐसे ग्राहक ढूँढते हैं जिनको महिलाओं/बालिकाओं की आवश्यकता होती है। और उनकी हैसियत के अनुसार 50 हजार, एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख जैसा भी ग्राहक फंस जाये बेच देते हैं। इसमें हम तीनों मिलकर काम करते हैं और जितने की महिला/बालिका बिक जाती है हम लोग आपस में बराबर-बराबर रुपये बांट लेते हैं। हम लोग बागपत, हरियाणा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल इत्यादि जगहों में महिला/बालिकाओं को बेच चुके हैं तथा आज नगलिया कठेर के लाखन नाम के व्यक्ति को गीता उर्फ गुड्डी को 40 हजार रुपये में बेचा है। इसके अलावा सावित्री को बिलारी में बेचने के लिए 50 हजार रुपये में बात हो गयी थी। जिसको लेकर हम लोग आज जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त इनके पास से बरामद मोबाइल से विडियो जिसमें ये लोग महिलाओं को बेचने की बात कर रहे हैं। ओडियो जिसमें ये लोग महिलाओं का बेचने का सौदा कर रहे हैं तथा मोबाइल से ही लडकियों/बालिकाओं के फोटो मिले हैं जिनको ये लोग ग्राहक खोजकर बेचते मिले हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मौ० शानू उर्फ सोनू पुत्र असफाक निवासी थावला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2. श्रीमती नाजमा उर्फ पूनम पत्नी मौ० शानू उर्फ सोनू निवासी थावला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
3. विकास शर्मा पुत्र रामवीर शर्मा निवासी उपरोक्त

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

नया रोडवेज बस अड्डा कस्बा बहजोई जनपद संभल, दिनांक 15.10.2020 ।

बरामदगी का विवरण-

1. 40 हजार रूपये
2. दो मोबाईल फोन,

बरामद महिलाएं-

1. सावित्री पत्नी स्व. ओमकार निवासी ग्राम नागरिया थाना मीरगंज जनपद बरेली
2. गीता उर्फ गुड्डी पत्नी स्व. सुरेश निवासी मौ० टांडा उज्जेट थाना काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स० 506/2020 धारा 370/420 आई.पी.सी थाना बहजोई जनपद संभल ।

गिरफ्तारी टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र प्रताप थाना बहजोई जनपद संभल
2. वरि०उ०नि० धनवान सिंह
3. का० 793 मानवीर सिंह
4. का० 332 रजनीश
5. का० 334 आयुष कुमार
6. का० 332 कुलदीप कुमार
7. म०का० 848 सविता
8. म०का० 859 चन्द्रा कुमारी

